REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 2 | NOVEMBER - 2018

चम्पारण कृषि सम्बधी विधेयक (एग्रंरियन बिल) विधान परिशद् में प्रस्तुत

डॉ. बबलू ठाकुर
व्याख्याता –इतिहास विभाग , राम श्रेष्ट सिंह इंटर महाविद्यालय , चोंचहाँ मुजफ्फरपुर.

ऐसा प्रावधान उस समय था (आज भी है) कि किसी भी विधयक को कानूनी रूप देने के लिए उसे व्यवस्थापिक में पेश किया जाता था। उसके उस विधेयक पर बहस होता था/है। दोनों पक्षों के लोग उस पर अपनी – अपनी राय रखते थे/है। जब व्यवास्थापिका में वह विधयक पारित हो जाता था तो उस पर गवर्नर –जनरल का हास्ताक्षर होता था (आज केन्द्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर क्रमशः राष्ट्रपति और राजयपाल का हस्ताक्षर होता है) तब जाकर वह पारित विधेयक कानून बनता था/ हैं। उन्हीं कानूनी प्रावधनों का पालन करते हुए 29 नवम्बर 1917 ई0 को चम्पारण कृषि सम्बंधी विधेयक या 'एग्रंरियन बिल' मि0 गेटे ने विधान–पालिका (व्यवस्थापिका) में पेश किया। हम जान चुके हैं कि जाँच–समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित होने के उपरांत ही नीलवरों एवं उनके प्रतिनिधियों ने कितना हाय–तौबा मचाना शुरू कर दिया था। वैसे मि0 गेटे ने 50–60 वर्षो का चम्पारण नील से जुड़े विवादों का एक प्रकार का संक्षिप्त अपनी व्याख्या में प्रस्तुत की। चूँकि मि0 गेटे ने ही व्यवस्थापिका में विधंयक दाखिल किया था तो उसे उस विधेयक पर अपना मंतव्य देना ही था और सदस्यों का बताना ही था कि उस विधेयक में क्या–क्या बातें हैं। बिहार विधान परिषद् में नीलवरों के प्रतिनिधि डी0 जे0 रीड को सरकार ने जाँच–समिति में सदस्य बनाया था, नीलवरों ने आलोचना की। स्थिति गंभीर हो गई थी कि मि0 रीड को विधान परिषद् की सदस्यता इस्तीफा देना पड़ा। गाँधी जी के हुए आलोचक जे0 वी0 जेरसन नीलवरों के प्रतिनिधि बन कर विधान परिषद् में पधारे। नीलवरों के वकिल (कानूनी सलाहकार) पी0 केनेडी को भी सरकार ने सदस्य बनाया। दोनों सदस्यों ने नीलवरों की तरफ से मोरचा संभाला और चम्पारण एग्रंरियन बिल का तीखा विरोध किया, सदन में प्रदत्त भाषण से निलहों की आशा की अंतिम आस जगी कि सरकार इस विधेयक को वापस ले लेगी। उनके लिए जीवन–मरण का प्रश्न था। अब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार, ''इस ऐक्ट का सारांश यह है कि 'तीनकठिया प्रथा ' उखार दी गयी। शहरवासी 20 फीसदी तुरकौलिया, और 26 फीसदी अन्य कोठियों के रैयतों के लिए कमकर दी गई। खुश्की नील करने की इजाजत रैयतों को दी गयी और उनकी जोतों को नील के बंधन से मुक्त कर दिया। आगे इस विषय में लड़ाई कचहिरयों में न हो, इसका प्रबंध कर दिया गया''। 01 मई 1918 ई0 को गवर्नर–जेनरल ने इसे स्वीकार कर लिया। अब यह बिल कानून बन गया।

इस तरह से गाँधी जी का सत्याग्रह अपनी लड़ाई में विजित रहा। नीलवरों के अत्याचार का चम्पारण में इतिश्री हो गई। या रैयतों ने उनकें रौब ढाब से छुटकारा पा लिया रैयतों के लिए परंपड़ा जन्म–जन्मांतर को जो वह इस (विशेषकर तीन कठिया प्रथा और अन्य करें भी) से मुक्ति मिल गई। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी हैं कि रैयतों की इस सफलता के पीछे कहीं–न– कहीं गाँधी जी और उनके सहकर्मियों का ही योगदान रहा है जिन्होंने रैयतों को जागरूक करने का काम किया आक्र नीलवारें के विरूद्ध रैयतों द्वारा आवाज उठाने के लिए अनुकुल वातावरण तैयार किया।

संद्रर्भ

1 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद , ''चम्पारण में महात्मा गाँधी'', 'चम्पारण एग्रंरियन ऐक्ट' लोक सेवा संघ, वाराणसी, पृ–288

2 भैरव लाल दास, ''निलहों का विरोध काम न आया, पेश हुआ चम्पारण एग्रंरियन बिल'', 'प्रभात खबर' (03 / 05 / 2016)

3 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, '' चम्पारण में महात्मा गाँधी'', 'चम्पारण एग्रेरियन बिल, लोकसेवा संघ, वाराणसी पृ0–290